<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–7, जयपुर महानगर–द्वितीय</u>

पीठासीन अधिकारी : : **रेणुका सिंह हुड्डा, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–218 / 2026</u>
<u>(सी.आई.एस.नम्बर–2002 / 2026)</u>

तुषारांशु सिंघल पुत्र बनवारीलाल सिंघल, निवासी सेक्टर नंबर–4, शास्त्री नगर, जी.टी. रोड़, धोलपुर (राजस्थान)

––प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

भारत संघ, निरीक्षक अधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर।

––अप्राथी विभाग

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रकरण सं.GEXCOM/AE/INV/GST/6446/2026-AE-C/0 COOMR-CTST-ALWAR, भारत संघ बनाम तुषारांशु सिंघल, अपराध अंतर्गत धारा 132 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

<u>उपस्थित :</u>

1. **श्री दिनेश बिश्नोई, श्री रवि गुप्ता, श्री अनिल कुमार व श्री भरत बुडानिया,** विद्वान अधिवक्तागण, वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त।
2. **श्री विनोद कुमावत, विशिष्ट लोक अभियोजक**–परिवादी विभाग।

<u>आ दे श</u>

<u>दिनांक : 05.08.2026</u>

1. प्रार्थी / अभियुक्त **तुषारांशु सिंघल** की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता माननीय सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय के समक्ष पेश किया गया, जो वास्ते सुनवाई एवं विधिनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुआ। हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। पत्रावली पेश हुई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि मैसर्स भगवती ट्रेडिंग कम्पनी धौलपुर व मैसर्स कान्हा मेटल इंडस्ट्रीज धौलपुर से संबंधित परिसरों पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर के द्वारा तलाशी कार्यवाही की गई, जिसमें अभियुक्त तुषारांशु सिंघल पार्टनर है। जांच में यह पाया गया कि तुषारांशु सिंघल ने अपनी फर्म मैसर्स भगवती ट्रेडिंग कम्पनी धौलपुर से बिना माल की पूर्ति के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूपये

01,38,98,549/–रूपये का लाभ उठाया और माल को सप्लाई किये बिना बिल जारी किये, जिसके फलस्वरूप तुषारांशु सिंघल ने उक्त फर्म से इनपुट टैक्स के 05,02,64,889/–रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट पासऑन किया। साथ ही तुषारांशु सिंघल ने उसकी दूसरी फर्म मैसर्स कान्हा मेटल धौलपुर से बिना माल की पूर्ति के जी.एस.टी. के अनुचित क्रेडिट टैक्स के रूपये 5,42,64,291/–रूपये का लाभ उठाया और वह माल भी बिना सप्लाई किए मात्र बिल जारी किये, जिसके परिणामस्वरूप तुषारांशु सिंघल ने उक्त दूसरी फर्म से इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूपये 1,36,78,092/–रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट पासऑन किया और इस प्रकार दोनों फर्मों से अभियुक्त ने बिना माल की पूर्ति के जी.एस.टी. के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट रूपये 6,81,62,840/–रूपये का लाभ उठाया और बिना माल की सप्ताई किये बिल जारी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट के 6,39,42,981/–रूपये पासऑन किये। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के आधार पर अनुचित रिफण्ड भी प्राप्त किया, जिससे सरकारी राजस्व को हाति पहुंची।.....इत्यादि।

3. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 132 केन्द्रीय वस्तुत एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 का अपराध प्रमाणित मानकर उसे गिरफ्तार किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को उक्त न्यायालय द्वारा दिनाक 28.07.26 को खारिज कर दिया गया, जिस पर अभियुक्त की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह कथन रहा है कि प्रार्थी की फर्मों की विभाग द्वारा तलाशी क्रमशः दिनांक 04/05.02.26 व 12/13.02.26 को ली गई व प्रार्थी को उसके लगभग 5 माह पश्चात् गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी के द्वारा जॉच के दौरान ही दिनांक 05.02.26 को अर्थात् तलाशी के समय ही 50 लाख रूपये की राशि जमा करवाई गई थी, जो कि किसी वैधानिक निर्धारण अथवा स्वेच्छिक स्वीकृति के आधार पर नहीं, अपितु विभाग के दबाब में जमा करवाई गई थी। प्रार्थी को अधिनियम की धारा 73

अथवा 74 के अंतर्गत न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ना ही कोई न्यायिक निर्णय आदेश पारित हुआ है। विभाग यह स्वीकार करता है कि लाभार्थी इकाइयों का सत्यापन, धन के प्रावाह की जॉच, बैंक खातों की जांच, अन्य व्यक्तियों की भूमिका तथा कर अपवंचन की वास्तविक मात्रा का निर्धारण अभी शेष है, अतः अभिलेख पर वर्तमान में रखी गई राशि प्रोविजनल है, अंतिम नहीं है। कथित इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बड़ा भाग साझेदारी फर्म से संबंधित है जो कि एक पृथक फर्म है, उसकी पहचान, पेन कार्ड, जी.एस.टी. नंबर भिन्न भिन्न है, उसके रिटर्न भिन्न, अतः दोनो इकाइयों की राशियों को जोड़कर प्रार्थी के विरूद्ध समेकित रूप से आंकड़ा प्रस्तुत करना विधिसम्मत नहीं है। तलाशी की समस्त कार्यवाही फरवरी, 2026 में पूर्ण हो चुकी हैं। प्रत्येक दस्तावेज, इलेक्ट्रोनिक अभिलेख तथा प्रार्थी का मोबाईल फोन उसी समय जब्त कर लिया गया था, वे विभाग के कब्जे में है तथा प्रार्थी के मोबाईल फोन की फोरेंसिक जांच भी करा ली गई है, प्रार्थी से अब कोई दस्तावेज, इलेक्ट्रोनिक सामग्री अथवा अन्य साक्ष्य बरामद किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आरोपित अपराध अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होकर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी लगभग 28 वर्ष का युवक है तथा अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला है, जिसकी पत्नी वर्तमान में गर्भवती है तथा उसका प्रसव शीघ्र ही अपेक्षित है, जिसकी देखभाल हेतु प्रार्थी का उपस्थित रहना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी के अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा, प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तैयार व तत्पर है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे। साथ ही बहस के समर्थन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जी.एस.टी. एक्ट 2017 के तहत गिरफ्तारी एवं जमानत के संबंध में दिनांक 17.08.22 को जारी इंस्ट्रक्शन आदेश की प्रति, निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गयेः—

1— क्रिमिनल अपील नंबर 2269/2026 (एस.सी.)

विनीत जैन बनाम भारत संघ

2— 2023(2) एस.सी.सी. 621 रत्नाम्बर कौशिक बनाम भारत संघ

6. वहीं विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध

कर कथन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद में अंकित दोनो फार्मे से बिना माल की पूर्ति के जी.एस.टी. के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट रूपये 6,81,62,840/–रूपये का लाभ उठाने एवं बिना माल सप्लाई किये बिल जारी करके राशि 6,39,42,981/–रूपये की आई.टी.सी.पासऑन करने के अपराध का गंभीर आरोप है, जो कि गंभीर आर्थिक अपराध है, अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही बहस के समर्थन में माननीय राज. उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा **एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या 5304/2026 उमंग गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया,** में पारित आदेश की प्रति पेश की गई।

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. केस डायरी पर संकलित साक्ष्य सामग्री के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि मैसर्स भगवती ट्रेडिंग कम्पनी धौलपुर व मैसर्स कान्हा मेटल इंडस्ट्रीज धौलपुर से संबंधित परिसरों पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर के द्वारा तलाशी कार्यवाही की गई, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त तुषारांशु सिंघल पार्टनर है। जांच में यह भी पाया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपनी फर्म मैसर्स भगवती ट्रेडिंग कम्पनी धौलपुर से बिना माल की पूर्ति के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूपये 01,38,98,549/–रूपये का लाभ उठाया और माल को सप्लाई किये बिना बिल जारी किये, जिसके फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त फर्म से इनपुट टैक्स के 05,02,64,889/–रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट पासऑन किया। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त ने उसकी दूसरी फर्म मैसर्स कान्हा मेटल धौलपुर से बिना माल की पूर्ति के जी.एस.टी. के अनुचित क्रेडिट टैक्स के रूपये 5,42,64,291/–रूपये का लाभ उठाया और वह माल भी बिना सप्लाई किए मात्र बिल जारी किये, जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त दूसरी फर्म से इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूपये 1,36,78,092/–रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट पासऑन किया और इस प्रकार दोनों फर्मों से अभियुक्त ने बिना माल की पूर्ति के जी.एस.टी. के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट रूपये 6,81,62,840/–रूपये का लाभ उठाया और बिना माल की सप्ताई किये बिल जारी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट के 6,39,42,981/रूपये पासऑन किये। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के

आधार पर अनुचित रिफण्ड भी प्राप्त किया, जिससे सरकारी राजस्व को हाति पहुंची। अभियुक्त के द्वारा भारी मात्रा में कर चोरी का धारा 132 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 का अपराध कारित किया गया है, जो कि गंभीर आर्थिक अपराध होकर देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला अपराध है।

9. अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना, कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

10. अतः प्रार्थी/अभियुक्त–**तुषारांशु सिंघल** पुत्र बनवारीलाल सिंघल, निवासी सेक्टर नंबर–4, शास्त्री नगर, जी.टी. रोड़, धोलपुर (राजस्थान) की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(रेणुका सिंह हुड्डा)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–7,
जयपुर महानगर–द्वितीय

11. आदेश दिनांक 05.08.2026 को हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(रेणुका सिंह हुड्डा)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–7,
जयपुर महानगर–द्वितीय